सं.31011/8/2017-स्था.क-IV
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 18 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- **सातवें वेतन आयोग के पश्चात् अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के उद्देश्य से सरकारी सेवकों की यात्रा हकदारी के संबंध में स्पष्टीकरण।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 19.09.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि अवकाश यात्रा रियायत के उद्देश्य से सरकारी सेवकों के यात्रा हकदारी, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से स्तर 8 के लिए हवाई यात्रा हकदारी, जो अवकाश यात्रा रियायत के लिए नहीं, बल्कि केवल यात्रा भत्ता के संबंध में अनुमन्य है, को छोड़कर वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के का. ज्ञा. में यथाअधिसूचित हवाई यात्रा हकदारी के समान होगा।

2. इस संबंध में इस विभाग को सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न विभागों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को उनके यात्रा भत्ता हकदारी के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत के उद्देश्य से व्यवसायिक श्रेणी (बिजनेस क्लास) में यात्रा करने की अनुमति होगी, अथवा व्यय विभाग के दिनांक 16.09.2010 के का.ज्ञा. सं. 19024/1/2009-व्यय.IV में यथानिर्धारित किफायती श्रेणी (इकोनॉमी क्लास) में यात्रा करने से संबंधित पूर्व अनुदेश लागू रहेंगे।

3. व्यय विभाग के परामर्श से मामले का परीक्षण किया गया और एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 19.09.2017 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुरूप **वेतन मैट्रिक्स 14 एवं उससे ऊपर** के स्तर के सरकारी सेवक अवकाश यात्रा रियायत के उद्देश्य से बिजनेस/क्लब क्लास में हवाई यात्रा करने के हकदार होंगे। तथापि, अवकाश यात्रा रियायत-80 किराए की दर की अधिकतम सीमा और अधिकृत प्रणालियों के माध्यम से टिकट बुक करने जैसी अन्य शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

सूर्य नारायण झा
18.1.18
(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रति प्रेषितः

1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए (अधिसूचनाएं << कार्यालय ज्ञापन/आदेशस्थापना << स्थापना << एलटीसी नियमावली)।